

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

—: मंत्रालय :-

महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

// आदेश //

अटल नगर, दिनांक 23/01/2020

क्र.1328 /वित्त/ब-2/2020 :- वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1138, 1139/वित्त/ब-2/चार/2016 दिनांक 28/11/2016 में संशोधन करते हुए वन वित्तीय नियमावली के पुनरावलोकन एवं संशोधन हेतु गठित वन विभाग की विभागीय समिति के प्रतिवेदन के परीक्षण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1. श्री सतीश पाण्डेय, अपर सचिव - अध्यक्ष
2. श्री ए.के.सिंह, संयुक्त सचिव - सदस्य
3. श्री अरविंद कुजूर, अवर सचिव - सदस्य
4. विभागीय अधिकारी (वन विभाग) - सदस्य

(जिन्हें विभाग द्वारा समय-समय पर

आयोजित होने वाली बैठकों हेतु अधिकृत

किया जाएगा)

5. अवर सचिव, बजट शाखा

- संयोजक सदस्य



(सतीश पाण्डेय) (अ.स.)
अपर सचिव

पृ.क्र.1329/वित्त/ब-2/2020

अटल नगर, दिनांक 23/01/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, कृपया उक्त समिति हेतु अधिकारी का नामांकन कर सूचित करने हेतु।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
3. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री ए.के. सिंह संयुक्त सचिव..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(आनंद मिश्रा)
अवर सचिव